राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प. 27(2)मं.मं/2009 जयपुर, दिनांकः

परिपत्र

राजस्थान कार्यविधि नियमों के नियम 31(1) (XXXVI) के अंतर्गत इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.01.2015 एवं 26.02.2015 के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 12.10.2020 के बिन्दु संख्या–1 को परिपत्र दिनांक 12.2.2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसकी निरन्तरता में निम्न प्रकरण ओर सम्मिलित किया जाता हैः–

"केन्द्र सरकार के विभागों को 50 (पचास) एकड़ से अधिक के भूमि आंवटन के प्रकरण" को उक्त आदेश से मुक्त रखा जावेगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(**डॉ. जोगा राम**)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्रिगण।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ।
5. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

Document certified by JOGA RAM
<JOGARAM@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date :21-11-2024 04:00:56

2-7

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकःप.27(2)मं.मं / 2009 जयपुर, दिनांकः 21-01-2015

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में आवश्यक आदेश प्रसारित करने से पूर्व प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।

इस संबंध में आवश्यक है कि राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में आवश्यक आदेश प्रसारित करने से पूर्व प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं।

उक्त नियम 31(1) की पालना सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में भी मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा परिपत्र दिनांक 17.02.2001, 5.10.2001, 24.05.2002, 13.10.2004 एवं 25.08.2011 के द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है।

उक्त निर्देशों की कतिपय विभागों द्वारा अभी भी पूर्ण पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है । अतः राजस्थान कार्यविधि नियम 31(1) (XXXVI) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम 31 (1) में वर्णित समस्त प्रकरणों के साथ–साथ निम्न श्रेणी के प्रकरण भी आदेश प्रसारित करने से पूर्व मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु पुनः निर्देशित किया जाता हैः–

1. राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके संगठनों, पब्लिक या प्राईवेट एंटरप्राईजेज या जोईन्ट वेंचर कम्पनीज को भूमि आवंटन के मामले।
2. राज्य सरकार के स्तर पर नई शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था खोलने की स्वीकृति या विद्यमान संस्था के पुनर्गठन से सम्बन्धित मामले।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण।
2. सचिव, मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिवालय के समस्त विभाग / प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

259

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 27(02)मंमं / 2009 जयपुर, दिनांकः 26-02-2015

परिपत्र

इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.01.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान कार्यविधि नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 1 पर उल्लेखित निर्देश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

''1. राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार व विभिन्न विभागों व उनके संगठनों, पब्लिक या प्राईवेट एंटरप्राईजेज या जोईन्ट वेंचर कम्पनीज को 50 (पचास) एकड़ से अधिक के प्रकरणों में भूमि आवंटन के मामले।''

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
4. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग ।
5. रक्षित पत्रावली।

(हरी बाबू शर्मा)
वरि० शासन उप सचिव

268

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक :— प.27(1)मं.मं./2009

जयपुर दिनांकः— 12/10/2020

परिपत्र

राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) में वर्णित समस्त प्रकरणों के साथ—साथ इस सचिवालय के परिपत्र दिनांक 21.01.2015 एवं 26.02.2015 में उल्लेखित प्रकरणों "जिनके आदेश प्रसारित करने से पूर्व, मा0 मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है" के बिन्दु संख्या 1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः—

1. राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार व विभिन्न विभागों व उनके संगठनों, पब्लिक या प्राइवेट एन्टरप्राईजेज या जोईन्ट वेंचर कम्पनीज को 50 (पचास) एकड़ से अधिक के भूमि आवंटन के प्रकरणों को "**मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायेगा।**"

2. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्राप्त भू—आवंटन के आवेदनों का निस्तारण विनिधान बोर्ड (Board of Investment) की अनुशंषा पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इस सचिवालय के परिपत्र दिनांक 21.01.2015 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 2 (जो अब नीचे भी बिन्दु संख्या 3 के रूप में उल्लेखित है) के साथ ही निम्न श्रेणी के प्रकरण भी राजस्थान कार्य विधि नियम के नियम 31(1)(XXXIV) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम 31(1)में वर्णित समस्त प्रकरणों के साथ—साथ आदेश जारी किये जाने से पूर्व मा0 मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर प्रस्तुत किये जायेगें :—

3. राज्य सरकार के स्तर पर नई शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था खोलने की स्वीकृति या विद्यमान संस्था के पुनर्गठन से संबंधित मामले।

4. राज्य सरकार के स्तर पर निजी महाविद्यालय खोलने, उनमें सीट बढ़ाने/नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने एवं उनमें सीट बढ़ाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/स्वीकृति से संबंधित मामले।

5. राज्य सरकार के स्तर पर निजी महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर/ डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स की फीस बढ़ाने एवं NRI सीट बढ़ाने से संबंधित मामले।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

o/c 12/10/2020
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग
5. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव
o/c

270/C

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 27(2)मं.मं./2009 जयपुर, दिनांकः 12.2.2021

परिपत्र

राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1)(XXXVI) के अंतर्गत इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.01.2015 एवं 26.02.2015 के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 12.10.2020 के बिन्दु संख्या 1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों यथा रीको इत्यादि को 50 (पचास) एकड़ से अधिक के भूमि आवंटन के प्रकरणों को उक्त आदेश से मुक्त रखा जावेगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

12/2/2021

(दिनेश कुमार यादव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

12/2/2021

शासन सचिव